भारतीय दूरसंचार दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2007

दूरसंचार अन्तरसंयोजन उपयोग प्रभार (आठवां संशोधन) विनियम, 2007 (2007 का 2)

फा.सं. 409–2/2007–एफएन.–भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप–धारा (1) के खंड (ख) के उप–खंड (ii), (iii) और (iv) के साथ पठित धारा 36 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार विनियम, 2003 (2003 का 4) में आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थातः–

1. (1) इन विनियमों को "दूरसंचार अन्तरसंयोजन उपयोग प्रभार (आठवां संशोधन) विनियम, 2007" कहा जाएगा।
   (2) ये विनियम अप्रैल, 2007 के प्रथम दिन से प्रवृत्त होंगे।

2. दूरसंचार अन्तरसंयोजन उपयोग प्रभार विनियम, 2003 (2003 का 4) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त विनियम कहा गया है) में, विनियम 5 में पैरा (iv) में, "और आउटगोइंग" शब्दों का लोप किया जाएगा:

3. उक्त विनियमों की अनुसूची III में, –

(क) पैरा 3.1 में, –

   (i) "आउटगोइंग और" शब्दों का लोप किया जाएगा:
   (ii) तालिका III के स्थान पर, निम्नलिखित तालिका प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:

"तालिका–III

अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी की कॉलों के लिए एक्सेस डेफिसिट प्रभार

कॉल का प्रकार	प्रति मिनट एक्सेस डेफिसिट प्रभार (रु0 में)	बीएसएनएल को भुगतान किया जाने वाला एक्सेस डेफिसिट प्रभार
सभी इनकमिंग आईएलडी कॉलें	रु. 1.00 (एक रुपया केवल)	विनियम 2 के खंड (iv) में विनिर्दिष्ट आईएलडीओ अथवा एनएलडीओ द्वारा";

(ख) पैरा 3.2 में, –

(i) उप–पैरा 3.2.1 में, –

(क) "आउटगोइंग और" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ख) "1.5 प्रतिशत भुगतान" शब्दों तथा अंकों के स्थान पर "0.75 प्रतिशत भुगतान" शब्द तथा अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) उप–पैरा 3.2.4 में, "31–3–2006 तक, पश्चातवर्ती भुगतान" शब्दों तथा अंकों के स्थान पर "31–3–2006 तक, 1 अप्रैल, 2007 से पूर्व पश्चातवर्ती भुगतान" शब्द तथा अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(iii) उप–पैरा 3.2.4 के पश्चात, निम्नलिखित उप–पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात,–

"3.2.5 1 अप्रैल, 2007 को प्रारंभ होने वाले तथा 31 मार्च, 2008 तक प्रभावी वित्त वर्ष के लिए उक्त, वित्त वर्ष के दौरान अप्रैल, 2007 के प्रथम दिन को अथवा उसके पश्चात, उप–पैरा 3.2.1 मे विनिर्दिष्ट एक्सेस डेफिसिट प्रभार उस वित्त वर्ष में प्रत्येक तिमाही के लिए समायोजित सकल राजस्व की 0.75 प्रतिशत की दर से देय होगा तथा उसका भुगतान संबंधी लाइसेंसी के लाइसेंस में उल्लिखित लाइसेंस फीस के भुगतान के लिए समय–सारणी के अनुरूप उसमें भीतर किया जाएगा।"

आर.के. आर्नल्ड, सचिव
[विज्ञापन III/IV/142/2006/असा.]

टिप्पणी 1: प्रधान विनियम दिनांक 29 अक्तूबर, 2003 की फा.सं. 409–5/2003–एफएन (2003 का 4) द्वारा प्रकाशित हुए थे तथा निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा उसमें पश्चातवर्ती संशोधन हुएः

(i) 409–5/2003–एफएन, दिनांक 25 नवम्बर, 2003 (2003 का 5) (प्रथम संशोधन);
(ii) 409–5/2003–एफएन, दिनांक 12 दिसम्बर, 2003 (2003 का 6) (द्वितीय संशोधन);
(iii) 409–5/2003–एफएन, दिनांक 31 दिसम्बर, 2003 (2003 का 7) (तृतीय संशोधन);
(iv) 409–8/2004–एफएन, दिनांक 6 जनवरी, 2005 (2005 का 1) (चौथा संशोधन);
(v) 409–8/2004–एफएन, दिनांक 11 अप्रैल, 2005 (2005 का 7) (पांचवां संशोधन);

जिसे माननीय टीडीसैट ने 2005 की अपील सं. 7 में 21 सितम्बर, 2005 के अपने आदेश द्वारा निरस्त कर दिया है।

(vi) 409–5/2005–एफएन, दिनांक 23 फरवरी, 2006 (2006 का 1) (छठा संशोधन);

(vii) 409–5/2005–एफएन, दिनांक 10 मार्च, 2006 (2006 का 2) (सातवां संशोधन);

टिप्पणी 2: व्याख्यात्मक ज्ञापन इन विनियमों के उद्देश्यों और कारणों का वर्णन करता है।

"दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार (आठवां संशोधन) विनियम 2007" (2007 का 2) दिनांक 21 मार्च, 2007 का व्याख्यात्मक ज्ञापन

1. पृष्ठभूमि

1.1 एक्सेस डेफिसिट चार्ज (एडीसी) व्यवस्था दूरसंचार बाजार में विकसित होती स्थिति विशेषकर तेजी से आगे बढ़ने की प्रवृत्ति और एक प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में फिक्सड लाइन ऑपरेशन के बने रहने के परिप्रेक्ष्य में अस्तित्व में आई थी। पारगमन के दौरान यह अस्थायी सहायता बड़े कवरेज एरिया वाले नेटवर्क के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी, और यह दूरसंचार क्षेत्र में महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्यों पर केन्द्रित थी। तथापि, एक सीमित अवधि के लिए रहने वाली यह एडीसी व्यवस्था मुख्यतः इंकम्बेंट ऑपरेटरों को पारगमन अवधि के दौरान टैरिफ के पुनर्संतुलन हेतु समय देने के लिए है। दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार विनियम, 2003 (2003 का 4) दिनांक 29 अक्तूबर, 2003 के व्याख्यात्मक ज्ञापन के पैराग्राफ 101 में यह बताया गया था कि एडीसी व्यवस्था को सामान्य रूप से चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा और इसे 3 से 5 वर्ष के भीतर यूएसओ व्यवस्था में मिला दिया जाएगा।

2. एडीसी व्यवस्था की शुरूआत/वर्ष 2003 में एडीसी की समीक्षा

2.1 अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार (आईयूसी) और एडीसी व्यवस्था की स्थापना भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके बाद प्राधिकरण कहा गया है) द्वारा दिनांक 24 जनवरी, 2003 के अपने विनियम "दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार (आईयूसी) विनियम, 2003" (2003 का 1) के माध्यम से हुई। यह व्यवस्था 1 मई, 2003 से लागू हुई। प्राधिकरण ने उपर्युक्त व्यवस्था की समीक्षा की और "दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार विनियम, 2003" (2003 का 4) दिनांक 29 अक्तूबर, 2003 (जिसे इसमें इसके पश्चात प्रधान विनियम कहा गया है) द्वारा संशोधित व्यवस्था अधिसूचित की गई और यह 1 फरवरी, 2004 से प्रभावी हुई।

3. वित्त वर्ष 2004–05 के दौरान एडीसी की समीक्षा

3.1 सब्सक्राइबर बेस की उच्च वृद्धि और एडीसी के वित्तपोषण हेतु उपलब्ध अभिवर्धित मिनटों के मद्देनजर, प्राधिकरण ने "एक्सेस डेफिसिट रिव्यु" पर 23 जून, 2004 को एक और परामर्श पत्र जारी किया। परामर्श के फलस्वरूप, प्राधिकरण ने "दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग

प्रभार (चौथा संशोधन) विनियम (2005 का 1)" दिनांक 6 जनवरी, 2005 के तहत प्रधान विनियम को संशोधित किया और एडीसी कोष की उतनी ही राशि को जारी रखने का निश्चय किया जिसे प्रधान विनियमों के तहत विनिर्दिष्ट किया गया था। यद्यपि, वर्ष 2005–06 के लिए एडीसी के वित्तपोषण हेतु उपलब्ध अभिवर्धित मिनटों के कारण प्रति मिनट दर को घटा दिया गया था तथापि एडीसी कोष में कोई कटौती नहीं की गई। प्रधान विनियमों में उक्त संशोधन 1 फरवरी, 2005 से प्रभावी हुआ। दिनांक 6 जनवरी, 2005 के "दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार (चौथा संशोधन) विनियम (2005 का 1)" द्वारा यथासंशोधित मूल विनियमों के अंतर्गत "अन्य फिक्सड लाइन ऑपरेटरों" का अपने नेटवर्कों से उद्‌भूत कॉलों से सृजित हुई एडीसी को बनाए रखना जारी रखने की अनुमति दी गई। बीएसएनएल को एडीसी के अध्यधीन सभी इनकमिंग अंतरराष्ट्रीय कॉलों और मोबाइल से उद्‌भूत सभी कॉलों सहित (बाह्यसर्किल मोबाइल से मोबाइल कॉलों को छोड़कर) अन्य सभी कॉलों से सृजित एडीसी को बनाए रखने की अनुमति दी गई।

4. वित्त वर्ष 2005–06 के दौरान एडीसी की समीक्षा (मार्च, 2005 माह सहित)

4.1 प्राधिकरण ने 17 मार्च, 2005 के अपने परामर्श पत्र के तहत आईयूसी/एडीसी की तीसरी बार समीक्षा की। इस परामर्श पत्र में अन्य बातों के साथ–साथ (क) फिक्सड वायरलैस लाइन पर एडीसी का औचित्य और बीएसएनएल से इतर फिक्सड लाइन ऑपरेटरों पर एडीसी की ग्राह्यता, (ख) राजस्व के प्रतिशत के रूप में एडीसी और उसके विभिन्न रूपों तथा राष्ट्रीय लंबी दूरी (एनएलडी) और अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी (आईएलडी) कॉलों पर उच्च एडीसी, (ग) इनकमिंग अन्तरराष्ट्रीय कॉलों के लिए प्रभारों सहित अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार (कैरिएज और टर्मिनेशन), (घ) एडीसी के अधिकार–क्षेत्र से ग्रामीण वायरलाइन सब्सक्राइबर से सृजित राजस्व को बाहर रखना, (ङ) राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कॉलों के लिए संभावित भेदात्मक टर्मिनेशन प्रभार और (च) देय एडीसी की मात्रा को पूरा करने के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यूएसओ) उपलब्ध कराने सहित कई प्रकार के मुद्‌दों पर विचार किया गया।

4.2 प्राधिकरण ने पूर्ववर्ती पैराग्राफ में उल्लिखित परामर्श प्रक्रिया का अनुरक्षण करने के बाद 23 फरवरी, 2006 को "दूरसंचार अंतर–संयोजन प्रयोग प्रभार (छठा संशोधन) विनियम (2006 का 1)" के तहत मूल विनियमों को संशोधित किया जो 1 फरवरी, 2006 को प्रभावी हुआ। प्रधान विनियमों में उक्त संशोधन द्वारा, वर्ष 2006–07 के लिए एडीसी का कुल अनुमानित वित्तपोषण 3335 करोड़ था, जिसमें से 3200 करोड़ रुपए बीएसएनएल के लिए अनुमानित एडीसी वित्तपोषण हेतु थे। उपयुक्त संशोधन के द्वारा आईएलडी पर एडीसी प्रतिमिनट की दर पर जारी रहा किंतु इसकी दर कम थी जोकि इनकमिंग आईएलडी कॉलों के लिए 1.60 रुपए प्रति मिनट (जो पहले 3.35 रुपए प्रति मिनट थी), (जो पहले 2.50 रु. प्रति मिनट) थी। और आउटगोइंग आईएलडी कॉलों के लिए 0.80 रु. प्रति मिनट (जो पहले 2.50 रु. प्रति मिनट) थी। आईएलडी कॉलों के अतिरिक्त, एडीसी, एक्सेस प्रयोक्ताओं, राष्ट्रीय लंबी दूरी के ऑपरेटरों (एनएलडीओ) और अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी के ऑपरेटरों (आईएलडीओ) के 1.5 प्रतिशत समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के रूप में लागू था। संशोधन के द्वारा, ग्रामीण

वायरलाइन सब्सक्राइबरों से सृजित राजस्व पर एडीसी नहीं लगाया गया था अर्थात् यूनीफाइड एक्सेस सर्विस लाइसेंसी/बेसिक सर्विस ऑपरेटर के एजीआर के प्रतिशत के रूप में एडीसी की गणना करते समय, ग्रामीण फिक्सड वायरलाइन सब्सक्राइबरों से प्राप्त राजस्व को हिसाब से बाहर रखने की अनुमति दी गई। एक्सेस प्रयोक्ताओं को फिक्सड वायरलाइन से उद्भूत आउटगोइंग आईएलडी कॉलों से सृजित एडीसी और फिक्सड वायरलाइनों के एजीआर के प्रतिशत के रूप में एडीसी को रखने की अनुमति दी गई।

उपर्युक्त संशोधन की सारणी–8 में दी गई वर्ष 2006–07 के लिए विभिन्न स्ट्रीमों से प्राप्त अनुमानित एडीसी राशि का सारांश तुरन्त संदर्भ हेतु नीचे दिया गया हैः–

आईयूसी विनियम दिनांक 23 फरवरी, 2006 की तालिका 8 वर्ष 2006–07 हेतु एडीसी दर और अनुमानित एडीसी राशि

स्ट्रीम	एडीसी दर	एडीसी राशि (रु0 करोड़ में)
राजस्व हिस्सा	सभी सेवा प्रदाताओं के लिए एजीआर का 1.5 प्रतिशत	1278
अंतरराष्ट्रीय इनकमिंग कॉल	1.60 रुपए प्रति मिनट	1800
अंतरराष्ट्रीय आउटगोइंग कॉल	0.80 रुपए प्रति मिनट	257
कुल		3335

5. वित्त वर्ष 2006–07 के दौरान एडीसी की समीक्षा

5.1 प्रधान विनियमों में, प्राधिकरण ने उल्लेख किया था कि एडीसी की समीक्षा वार्षिक आधार पर की जाएगी। तदन्तर, प्रधान विनियमों के 1 फरवरी, 2004 से प्रभावी होने के बाद से प्राधिकरण वार्षिक आधार पर एडीसी व्यवस्था की समीक्षा कर रहा है। प्राधिकरण द्वारा स्थापित एडीसी ढांचे में यह परिकल्पित है कि एडीसी एक समाप्त होती व्यवस्था है, और व्यवस्था को सदा के लिए जारी नहीं रखा जा सकता है।

5.2 वार्षिक समीक्षा के एक भाग के रूप में, प्राधिकरण ने 31 जनवरी, 2007 को एक्सेस डेफिसिट चार्जेज (एडीसी) पर एक परामर्श पत्र जारी किया। स्टेकहोल्डरों से टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 26 फरवरी, 2007 थी। इस परामर्श पत्र में अन्य बातों के साथ–साथ एडीसी व्यवस्था के स्थापित ढांचे का स्मरण शामिल था, जिसे प्राधिकरण ने स्थापित किया था और समय–समय पर उसकी समीक्षा की थी। उक्त परामर्श पत्र द्वारा वर्ष 2007 में, एडीसी की समीक्षा में, मुख्यतः (क) वर्ष 2007–08 हेतु एडीसी की राशि; (ख) ऐसी एडीसी की राशि के वित्तपोषण/वसूली हेतु तंत्र, उदाहरणतः राजस्व के प्रतिशत के रूप में एडीसी, आईएलडी कॉलों पर प्रति मिनट एडीसी और उसके विभिन्न प्रकारों पर विचार–विमर्श किया गया।

6. एडीसी व्यवस्था का ढांचा

प्रधान विनियमों तथा विभिन्न संशोधनकारी विनियमों में प्राधिकरण द्वारा पहले ही यथाविनिर्दिष्ट एडीसी व्यवस्था की मुख्य–मुख्य बातों पर संक्षेप में नीचे विचार किया गया हैः–

6.1 एडीसी एक समाप्त होती व्यवस्था है

प्राधिकरण द्वारा अक्तूबर, 2006 से इस बात पर बल दे रहा है कि एडीसी एक समाप्त होती व्यवस्था है। इस संबंध में, मूल विनियमों और विभिन्न संशोधित विनियमों के व्याख्यात्मक ज्ञापन के संगत पैराग्राफों के उद्धरणों को व्याख्यात्मक ज्ञापन के अनुबंध–क में दिया गया है।

6.2 एडीसी को सदा के लिए जारी नहीं रखा जा सकता है

वर्ष 2003 में स्थापित ढांचे में निहित था कि एडीसी व्यवस्था सदा के लिए जारी नहीं रहेगी। इस संबंध में, प्रधान विनियमों तथा विभिन्न संशोधित विनियमों के व्याख्यात्मक ज्ञापन के संगत पैराग्राफों के उद्धरणों को व्याख्यात्मक ज्ञापन के अनुबंध–ख में दिया गया है।

6.3 एडीसी की स्वीकार्यता हेतु नई गणना की कोई आवश्यकता नहींः

प्राधिकरण द्वारा स्थापित एडीसी ढांचे में यह परिकल्पित है कि चूंकि एडीसी एक समाप्त होती व्यवस्था है और इसे सदा के लिए जारी नहीं रखा जा सकता है, इसलिए एडीसी की स्वीकार्यता हेतु नई गणना करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। इस संबंध में, प्रधान विनियमों के संशोधन से संबंधित व्याख्यात्मक ज्ञापन के संगत पैराग्राफों के उद्धरणों को व्याख्यात्मक ज्ञपन के संगत पैराग्राफों के उद्धरणों को व्याख्यात्मक ज्ञापन के अनुबंध–ग में दिया गया है।

6.4 2008–09 तक एडीसी को समाप्त करना तथा यूएसओ निधि के माध्यम से भविष्य में सहायता, यदि आवश्यक हुई

प्राधिकरण ने वर्ष 2003 में पहले ही कहा है कि एडीसी व्यवस्था को आने वाले सम में चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा और उसे 3 से 5 वर्ष के भीतर यूएसओ व्यवस्था में शामिल कर दिया जाएगा। प्रधान विनियमों और प्रधान विनियमों के आगे संशोधन में प्राधिकरण ने इसके जीवनकाल सहित एडीसी ढांचे की स्थापना की है। इस संबंध में, मूल विनियमों और विभिन्न संशोधन विनियमों के व्याख्यात्मक ज्ञापन के संगत पैराग्राफों के उद्धरणों को व्याख्यात्मक ज्ञापन के अनुबंध–घ में दिया गया है।

6.5 एडीसी को यूएसओ व्यवस्था से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए अथवा उसमें शामिल किया जाना चाहिए

प्राधिकरण ने वर्ष 2003 में पहले ही यह कहा है कि प्रचलित एडीसी व्यवस्था को 3 से 5 वर्षों के भीतर यूएसओ प्रकार की व्यवस्था में शामिल किए जाने योग्य बनाया जाना चाहिए। प्रधान विनियमों में और संशोधन करते हुए, प्राधिकरण ने यूएसओ और एडीसी के विलय पर बल दिया। इस संबंध में, प्रधान विनियमों और विभिन्न संशोधन विनियमों के व्याख्यात्मक ज्ञापन के संगत पैराग्राफों के उद्धरणों को व्याख्यात्मक ज्ञापन के अनुबंध–ङ में दिया गया है।

7. स्टेकहोल्डरों की मुख्या टिप्पणियों/उठाए गए मुद्दों पर विचारः

7.1 प्राधिकरण की बीएसएनएल से आरंभिक प्रतिक्रिया सहित 14 स्टेकहोल्डरों से टिप्पणियों प्राप्त हुईं। स्टेकहोल्डरों से प्राप्त टिप्पणियों को ट्राई की वेबसाइट पर डाला गया है और 6 माच्र, 2007 को नई दिल्ली में "ओपन हाउस" चर्चा हुई।

7.2 बीएसएनएएल ने अपनी आरंभिक प्रतिक्रिया प्रस्तुत की है जिसके साथ उसने प्रत्युत्तर सहित अपील संख्या 6/2006 (3 खंड) की प्रति संलग्न है, जिसमें उनके साथ माननीय दूरसंचार विवाद निपटान अपीलीय अधिकरण (टीडीएसएटी) के समक्ष किए गए मौलिक अनुरोध शामिल थे और उसमें यह उल्लेख किया गया था कि उनकी अपील की बातों को उनकी "पूर्वाग्रहरहित प्रारंभिक प्रतिक्रिया" (विदाउट प्रिजुडिस प्रिलिमिनरी रेस्पांस) का एक अभिन्न अंग माना जाए। बीएसएनएल ने यह भी उल्लेख किया कि सुनवाई पूरी होने के तुरंत बाद माननीय टीडीएसएटी के समक्ष अपना उत्तर प्रस्तुत करेगा। इस संबंध में, यह बताया जाता है कि ट्राई ने माननीय टीडीएसएटी के समक्ष अपील संख्या 6/2006 के संबंध में अपना उत्तर पहले ही प्रस्तुत कर दिया है। वर्तमान कवायद प्राधिकरण द्वारा पहले ही स्थापित एडीसी ढांचे के अंतर्गत वर्ष 2007–08 हेतु एडीसी राशि के वित्तपोषण/वसूली की वार्षिक समीक्षा करना है। ऊपर उल्लिखित अपील वर्ष 2006–07 के एडीसी से संबंधित है जिसमें बीएसएनएल ने दिनांक 23 फरवरी, 2006 के "दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार (छठा संशोधन) विनियम (2006 का 1)" को चुनौती दी है।

7.3 प्राधिकरण ने स्टेकहोल्डर्स की टिप्पणियों और अन्य बातों पर विचार किया और मामले का विस्तार से विश्लेषण किया। स्टेकहोल्डरों की टिप्पणियों/उठाए गए मुद्दों पर इसके पश्चात संक्षेप में चर्चा की गई है। स्टेकहोल्डरों द्वारा उठाई गई बातों को स्पष्ट रूप से दर्शाने हेतु उन्हें तिरछी टाइप में दिया गया है जिसके बाद में उस पर प्राधिकरण का विचार दिया गया है।

7.4 मुद्दा I : क्या एक्सेस डेफिसिट व्यवस्था को जारी रखा जाए।

7.4.1 इस मुद्दे पर स्टेकहोल्डरों से प्राप्त टिप्पणियों को पैरा (क) से (ज) में संक्षेप में नीच दिया गया है तथा उसके पश्चात आने वाले पैराओं में उन पर विचार किया गया हैः–

(क) एडीसी को तत्काल समाप्त किया जाए, यह उपभोक्ता पर एक अनुचित बोझ है, विभिन्न विकृतियों का स्रोत है, ग्रे मार्किट है और इंटरनेट टेलीफोनी शुरू करने में एक बाधा है।

(ख) दूरसंचार क्षेत्र में एक्सेस डेफिसिट व्यवस्था को जारी रखने का कोई मामला नहीं बनता है।

(ग) बीएसएनएल के लिए एडीसी अनुमत्य नहीं होना चाहिए क्योंकि यह एक लाभ कमाने वाली कंपनी है। वर्ष 2005–06 में, बीएसएनएल का कुल लाभ 8739 करोड़ रुपए था।

(घ) बीएसएनएल के लेखापरीक्षित लेखे के अनुसार, वर्ष 2003–04 में बीएसएनएल का निवेश और लाभ 15,923 करोड़ रुपये, 2004–05 में 18,998 करोड़ रुपए और वर्ष 2005–06 में 16,329 करोड़ रुपए था। एक्सेस डेफिसिट वाली कोई कंपनी आंतरिक संसाधनों से निवेश नहीं कर सकती है और साथ–साथ इतनी मात्रा में लाभ नहीं कमा सकती है।

(ङ) ब्राडबैंड जैसे ऐसे अनेक नए राजस्व स्रोत हैं जो कॉपर नेटवर्क हेतु अतिरिक्त राजस्व उपलब्ध कराते हैं। बीएसएनएल अपने कॉपर लोकल लूप को अलग–अलग करके अतिरिक्त राजस्व सृजित कर सकता है। इस कल्पित राजस्व हानि का वहन करने की क्षमता यह दर्शाती है कि उसे कोई एक्सेस डेफिसिट नहीं हो रहा है।

(च) टैरिफ पुनर्संतुलन हेतु पर्याप्त समय दिए जाने के बाद भी विकसित होते बाजार में एडीसी को समान स्तर पर जारी रखने से सब्सक्राइबरों पर अनुचित बोझ पड़ेगा और टैरिफ पुनर्संतुलन का उद्‌देश्य कभी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

(छ) निजी ऑपरेटरों की कीमत पर प्रतिस्पर्धा के प्रचालनों के लिए धन जुटाना अनुचित है।

(ज) एडीसी को तक तक जारी रखा जाना चाहिए जब तक कि डेफिसिट शून्य न हो जाए।

7.4.2 एडीसी व्यवस्था के शुरू होने से लेकर, प्राधिकरण को एडीसी की स्वीकार्यता के बारे में स्टेकहोल्डरों के अलग–अलग विचार मिल रहे हैं। कुछ स्टेकहोल्डर्स एडीसी को उपभोक्ता पर एक अनुचित बोझ, प्रतिस्पर्धी ऑपरेटरों की कीमत पर इंकम्बेंट का आनुपातिक रूप से फलना–फूलना; बाजार में विसंगतियां पैदा करने, अंतरपणन पैदा करने और अंतरराष्ट्रीय कॉलों में ग्रे मार्केट पैदा करने वाला मानते हैं। व्यक्त किए गए अन्य विचार न केवल एडीसी को

जारी रखने बल्कि एडीसी के स्केल/राशि को भी बढ़ाने के समर्थक हैं। बीएसएनएल द्वारा दिए गए औचित्य में अन्य बातों के साथ–साथ यह शामिल है कि यह ग्रामीण क्षेत्रों, जहां निजी ऑपरेटरों की संख्या लगभग नगण्य है, में अपनी प्रभावी उपस्थिति से अपने सामाजिक लक्ष्यों को पूरा कर रहा है। प्राधिकरण ने अलग–अलग दृष्टिकोणों पर विचार करने के बाद ट्रैफिक पुनर्संतुलन के लिए पर्याप्त समय प्रदान करते हुए एक्सेस डेफिसिट प्रभार प्रदान करने का निर्णय लिया। प्राधिकरण ने इस बात को आवश्यक माना कि इंकम्बेंट को एक सीमित अवधि के लिए एडीसी प्रदान करना चाहिए ताकि वह इंकम्बेंट टैरिफ को पुनर्संतुलित करने में समर्थ हो सके और इसके साथ–साथ इसे सदा के लिए जारी न रखा जाए जिससे उपभोक्ता पर अनुचित बोझ न पड़े और बाजार में विसंगतियां पैदा न हों। यह अभी–अभी प्राधिकरण का अकस्मात निर्णय नहीं है, बल्कि ह्रासमान व्यवस्था को 2003 से ही ज्ञात करवा दिया गया था।

7.4.3 प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर यथासंशोधित प्रधान विनियमों और पहले ही स्थापित एडीसी व्यवस्था के ढांचे के मद्देनजर, प्राधिकरण ने वर्ष 2007–08 के लिए पूर्व में अवधारित ढांचे के अंतर्गत एडीसी व्यवस्था को जारी रखने का निर्णय लिया। यहां इस बात पर बल दिया जाता है कि यह परागमन वर्तमान ढांचे के अनुरूप था तथा यूएसओ निधि से बीएसएनएल के निम्न लागत ग्रामीण फिक्सड लाइन प्रचालनों की वित्त पोषण की आवश्यकता होने पर, इस संभावना को समाप्त नहीं करता है।

7.5 मुद्दा II : निजी फिक्सड वायरलाइन ऑपरेटरों को एडीसी

7.5.1 इस मुद्दे पर विभिन्न स्टेकहोल्डरों के विचारों को संक्षेप में पैरा (क) से (ग) में दिया गया है तथा उसके पश्चात आने वाले पैराओं में उन पर विचार किया गया है:–

क) किसी निजी फिक्सड ऑपरेटर को कोई एडीसी देने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि वे:(–

(i) केवल शहरी और अर्ध–शहरी क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे हैं जहां पर टैरिफ पहले से ही नहीं है और एक्सेस डेफिसिट का सवाल ही नहीं उठता है।

(ii) वे अपनी सेवाएं देने के लिए प्रधान रूप से वायरलैस नेटवर्क का प्रयोग कर रहे हैं।

(iii) उनका औसत मासिक किराया निश्चित है जो वायरलैस प्रणालियों के लिए लागत आधारित किराए से अधिक है।

(ख) प्राधिकरण ने अन्य फिक्सड ऑपरेटरों को एजीआर के प्रतिशत के रूप में उनकी आउटगोइंग आईएलडी कॉलों के प्रति मिनट के आधार पर एडीसी रखने की अनुमति दी। यह बताया जाता है कि इससे निजी फिक्सड ऑपरेटरों को उनके वायरलैस प्रतिस्पर्धी की तुलना में गैर–प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलता है जो कि

समान कंपनियों के हित में नहीं है। इसके बाद, निजी फिक्सड ऑपरेटर गलत तरीके से तथा अनुचित रूप से एडीसी के पात्र नहीं रह जाने चाहिएं।

(ग) जब समग्र एडीसी व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाए केवल तभी अन्य मूलभूत सेवा प्रदाता (बीएसओ) के लिए एडीसी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाए।

7.5.2 प्राधिकरण ने प्रधान विनियमों द्वारा अन्य फिक्सड लाइन ऑपरेटरों को बीएसएनएल के समकक्ष नहीं माना। प्रधान विनियमों के तहत केवल बीएसएनएल ने ही मोबाइल से मोबाइल और मोबाइल पर/से अंतरराष्ट्रीय कॉलों पर एडीसी प्राप्त की। उस व्यवस्था में, अन्य बीएसओ को उनके नेटवर्क में टर्मिनेट होने वाली और नेटवर्क से सृजित होने वाली सभी कॉलों के लिए एडीसी प्राप्त करने की अनुमति दी गई। अन्य सेवा प्रदाताओं को एडीसी देने के मामले की जांच करते हुए, प्राधिकरण ने प्रधान विनियमों के पैरा–57 में यह बताया गया था कि अन्य बीएसओ के लिए एडीसी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने को एक्सेस डेफिसिट व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से समग्र रूप से समाप्त करने से पहले किया जाए।

7.5.3 "दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार (चौथा संशोधन) विनियम (2005 का 1)" दिनांक 6 जनवरी, 2005 द्वारा यथासंशोधित प्रधान विनियमों में, प्राधिकरण ने यह निर्णय लिया कि बीएसएनएल से इतर ऑपरेटरों को उनके लिए लागू एडीसी से संदर्भ में बीएसएनएल से भिन्न समझा जाना चाहिए। अन्य फिक्सड लाइन ऑपरेटरों को उनके फिक्सड सब्सक्राइबरों से आउटगोइंग परियात पर एडीसी बनाए रखने की अनुमति दी गई और उनके फिक्सड लाइन नेटवर्क में टर्मिनेट होने वाली कॉलों पर किसी एडीसी का भुगतान नहीं किया गया। प्रधान विनियमों से उक्त संशोधन में, बीएसएनएल ने मोबाइल सब्सक्राइबरों से सभी इनकमिंग अंतरराष्ट्रीय कॉलों और सभी आउटगोइंग कॉलों पर एडीसी प्राप्त किया।

7.5.4 दिनांक 23 फरवरी, 2006 के "दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार (छठा संशोधन) विनियम (2006 का 1)" द्वारा यथासंशोधित प्रधान विनियमों में, प्राधिकरण ने अन्य फिक्सड लाइन सेवा प्रदाताओं को फिक्सड वायरलाइन प्रचालनों के एजीआर के प्रतिशत के रूप में एडीसी लेने और उनके फिक्सड वायरलाइन कार्यों से उद्भूत आईएलडी कॉलों पर प्रतिमिनट आधार पर एडीसी लेने की अनुमति दी गई।

7.5.5 उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि बीएसएनएल से इतर ऑपरेटरों को उन्हें मिलने वाले एडीसी के संदर्भ में बीएसएनएल से भिन्न माना जारी रखा जाएगा। पूर्ववर्ती आईयूसी विनियमों में ऐसे विभेदी व्यवहार का तर्काधिकार दिया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ वायरलैस टर्मिनलों के माध्यम से उपलब्ध फिक्सड लाइन की एक्सेस संबंधी कम लागत और शहरी तथा ग्रामीण शहरों में सब्सक्राइबरों का फैलना शामिल है। ये घटक आज भी प्रासंगिक बने हुए हैं।

7.5.6 प्राधिकरण ने स्टेकहोल्डरों से प्राप्त टिप्पणियों की जांच की और दिनांक 23 फरवरी, 2006 के "दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार (छठा संशोधन) विनियम (2006 का 1)" के व्याख्यात्मक ज्ञापन के पैरा 27 में किए गए विश्लेषण और विचार का स्मरण किया जिसमें प्राधिकरण ने इस बात पर विचार किया था कि "हालांकि अन्य फिक्सड लाइन सेवा प्रदाताओं के लिए एडीसी का कोई औचित्य नहीं है फिर भी चूंकि अन्य फिक्सड लाइन ऑपरेटरों को बाजार मे मुकाबला करना है इसलिए, जहां तक फिक्सड वायरलाइन एजीआर के प्रतिशत के संदर्भ में और उनके फिक्सड वायरलाइन सब्सक्राइबरों से आउटगोइंग अंतरराष्ट्रीय कॉलों पर एडीसी को रखने का प्रश्न है, उन्हें बीएसएनएल बीएसएनएल के बराबर जा रहा है।" ये कारण आज भी प्रासंगिक बने हुए हैं। अतः विनियमों के वर्तमान संशोधन के अंतर्गत अधिसूचित व्यवस्था में, फिक्सड वायरलाइन सेवाओं के प्रतिशत के तौर पर एडीसी रखने की अनुमति है।

7.6 मुद्दा III : ग्रामीण वायरलाइन की तर्ज पर ग्रामीण वायरलैस पर एडीसी लाभ का विस्तार

7.6.1 ग्रामीण वायरलाइन पर एडीसी का लाभ देने पर स्टेकहोल्डरों के यह विचार थे कि यदि वष्र 2007–08 मे एडीसी वसूली हेतु राजस्व हिस्सेदारी प्रणाली को जारी रखा जाता है तो एक्सेस प्रदाताओं के कुल एजीआर से ग्रामीण वायरलाइन सब्सक्राइबरों से अर्जित राजस्व को बाहर रखने के वर्तमान सिद्धांत का लाभ ग्रामीण वायरलैस वालों को भी दिया जाए।

7.6.2 दिनांक 10 मार्च, 2006 के "दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार (सातवां संशोधन) विनियम (2006 का 2)" द्वारा यथासंशोधित प्रधान विनियमों में, प्राधिकरण ने उक्त संशोधनों विनियमों, 2006 के व्याख्यात्मक ज्ञापन में एजीआर से ग्रामीण वायरलैस सब्सक्राइबरों से सृजित राजस्व को बाहर नहीं रखने को तर्काधार के बारे में स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। प्राधिकरा वर्तमान ढांचे में बदलाव का कोई कारण नहीं पाता है और पुनः यह दोहराता है कि एक्सेस प्रदाताओं के एजीआर से केवल ग्रामीण फिक्सड वायरलाइ सब्सक्राइबरों द्वारा अर्जित राजस्व को ही बाहर रखा जाए और ऐसे एजीआर को राजस्व बंटवारे के प्रतिशत के रूप में एडीसी की गणना के समय प्रयोग में लाया जाए।

7.7 मुद्दा IV: आईएलडीओ पर दोहरा एडीसी लगाना

7.7.1 इस मुददे पर स्टेकहोल्डरों के यह विचार थे कि एडीसी के वित्तपोषण के वर्तमान तंत्र से आईएलडीओ पर दोहरा एडीसी लगता है और उन्हें प्रति मिनट आधार और उनके एजीआर के प्रतिशत के रूप में, दोनों पर एजीआर देना पड़ता है। आईएलडीओ द्वारा एजीआर के प्रतिशत के भुगतान की आवश्यकता को समाप्त किया जाए क्योंकि आईएलडीओ पहले ही आईएलडी इनकमिंग कॉलों पर प्रति मिनट आधार पर एडीसी के काफी बड़े भाग का भुगतान कर रहे हैं।

7.2.2 दिनांक 23 फरवरी, 2006 के "दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार (छठा संशोधन) विनियम (2006 का 1)" द्वारा प्रधान विनियमों को संशोधित करते हुए, प्राधिकरण की प्रमुख चिंता यह थी कि आईएलडी क्षेत्र से एडीसी के अंशदान को उसी प्रकार से रखा जाए जैसा कि वह अक्तूबर, 2003 में बनाए गए प्रधान विनियमों और जनवरी, 2005 में उनमें किए गए संशोधन से पूर्व था। यह नोट किया जाए कि आईएलडी कॉलों पर प्रति मिनट आधार पर सृजित एडीसी, आईएलडी ऑपरेटरों के एजीआर का भाग नहीं है। अतः आईएलडीओ के एजीआर के प्रतिशत के रूप में एडीसी का संग्रहण आईएलडी आवक और जावक कॉलों से सृजित एडीसी की तुलना में उल्लेखनीय रूप से कम है। एजीआर के प्रतिशत के रूप में आईएलडी क्षेत्र में तथा आईएलडी कॉलों के प्रति मिनट आधार पर एडीसी का अधिरोपण सुविचारित प्रक्रिया का परिणाम था तथा दरें इतनी निर्दिष्ट थीं कि आईएलडी क्षेत्र से लगभग 2100 करोड़ रु. आईएलडी जावक कॉलों से 257 करोड़ रु. तथा आईएलडीओ के प्रतिशत राजस्व हिस्से से 24 करोड़ रु. था। इसके अलावा, एडीसी के लिए आईएलडीओ सहित सभी सेवा प्रदाताओं के एजीआर पर समान प्रतिशत का अधिरोपण एक सेवा से दूसरी सेवा से राजस्वत की किसी गलत–सूचना अंतरण को बचाने के लिए निर्दिष्ट किया गया था।

7.7.3 "दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार (आठवां संशोधन) विनियम, 2007" द्वारा मूल विनियमों को संशोधित करते हुए प्राधिकरण ने आईएलडीओ सहित सभी सेवा प्रदाताओं पर इस समय एजीआर को समान प्रतिशत पर एडीसी का भुगतान करने की बाध्यता लागू करने की वर्तमान प्रणाली को जारी रखने का निर्णय लिया है।

7.8 मुद्दा V : यूएसओ और एडीसी

7.8.1 यूएसओ और एडीसी के बारे में पणधारियों की राय को नीचे पैरा (क) से (घ) में संक्षेप में दिया गया है तथा उसके पश्चात आने वाले पैराओं में उन पर विचार किया गया हैः–

(क) यूएसओ और एडीसी के समान उद्देश्य हैं; इसलिए समान नीतिगत उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भिन्न–भिन्न व्हीकलों और दो भिन्न प्रणालियों को रखना अवांछित है।

(ख) कोई भी एडीसी नहीं होना चाहिए। इसके बजाय, यूएसओ व्यवस्था के माध्यम से संगत सहायता प्रदान की जाए।

(ग) एडीसी और यूएसओ की परिधि तथा उद्देश्य पूर्णतः भिन्न–भिन्न हैं, मोबाइल ऑपरेटर की यूएसओ से निधि प्राप्त कर रहे हैं, यूएसओ और एडीसी के विलय का कोई तर्काधार नहीं है।

(घ) इस चरण में, यूएसओ के बारे में वाद–विवादों की आवश्यकता नहीं है। एडीसी और यूएसओ के विलय के बारे में, पृथक परामर्श प्रक्रिया होनी चाहिए।

7.8.2 वर्तमान में सरकार लाइसेंस फीस के राजस्व के भाग के रूप में समायोजित सकल राजस्व के 5 प्रतिशत के रूप में यूएसओ राशि उद्ग्रहित कर रही है। प्राधिकरण ने 6 जनवरी,

2005 के अपने "दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार (चौथा संशोधन) विनियम (2005 का 1)" में यह नोट किया है कि यूएसओ तथा एडीसी व्यवस्था के उद्देश्यों में पर्याप्त ओवरलैपिंग है। इसके अलावा, समय के साथ ही, "निवल लागत एसडीसीए" के अनुसार यूएसओ व्यवस्था कार्यान्वित की जा रही है, जैसा कि यूएसएफ प्रशासक ने 2004 की शुरूआत में अधिसूचित किया था, वास्तव में एडीसी और यूएसओ के बीच ओवरलैपिंग में वृद्धि होगी।

7.8.3 यूएसओ निधि के संदर्भ में, प्राधिकरण ने 23 जनवरी, 2006 "दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार (छठा संशोधन) विनियम (2006 का 1)" के पैरा 3 में यह उल्लेख किया था कि प्राधिकरण इस मुद्दे पर सरकार को उपयुक्त सिफारिशें प्रस्तुत करेगा ताकि यूएसओ व्यवस्था अंततः एडीसी के कारण भी समर्थन का ध्यान रख सके। ट्राई ने दिनांक 20 सितम्बर, 2006 के पत्र तथा 22 नवम्बर, 2006 के अनुवर्ती अनुस्मारक द्वारा दूरसंचार विभाग को पहले ही यह सूचित कर दिया है कि दूरसंचार विभाग इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एडीसी एक ह्रासमान व्यवस्था है, अगली कार्रवाई पर विचार कर सकता है। चूंकि मामले को सक्षम प्राधिकारी अर्थात दूरसंचार विभाग को विचारार्थ भेजा जा चुका है, इसलिए प्राधिकरण की यह राय है कि इस संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई दूरसंचार विभाग के द्वारा की जाएगी।

7.9 मुद्दा VI : एक्सेस डेफिसिट प्रभार की प्रमात्रा

7.9.1 वित्त वर्ष 2007–08 के लिए एक्सेस डेफिसिट प्रभार के बारे में पणधारियों की राय को नीचे पैरा (क) से (च) में संक्षेप में दिया जा रहा है तथा उसके पश्चात आने वाले पैराओं में उन पर विचार किया गया है:–

(क) प्राधिकरण द्वारा एडीसी में कटौती की वर्तमान प्रवृत्ति को बनाए रखा जाना चाहिए।

(ख) वर्ष 2006–07 में एडीसी में 2/3 कमी की गई। वर्ष 2007–08 में एडीसी को कम करके 1600 करोड़ रुपए किया जाए तथा उसके पश्चात शून्य किया जाए।

(ग) एडीसी में 4800 करोड़ रुपए की लगभग 60 प्रतिशत की उच्चतर दर से कमी की जानी चाहिए जिससे की बीएसएनएल के लिए एडीसी की प्रमात्रा 1280 करोड़ रुपए तक सीमित हो सके।

(घ) एडीसी को 2334 करोड़ रुपए, अर्थात पिछले वर्ष का एडीसी तथा उससे पिछले वर्ष के बीच का अंतर, तक कम किया जाए जिससे 2007–08 के लिए एडीसी 1000 करोड़ रुपए होगी।

(ङ) बीएसएनएल को लागत से कम कीमत पर ग्रामीण वायरलैस टेलीफोनी के लिए किराया निशुल्क कॉल और काल प्रभारों में सब्सिडी के कारण होने वाले घाटे को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष उपलब्ध कराई जाने वाली कुल एडीसी 14,301 करोड़ रुपए होगी।

7.9.2 प्राधिकरण ने प्रधान विनियमों में ऐतिहासिक लागत के आधार पर एडीसी की कुल राशि के लिए बीएसएनएल के साथ परामर्श करके विस्तृत गणनाएं की हैं। प्राधिकरण द्वारा स्थापित एडीसी ढांचे में परिकल्पना की गई है कि चूंकि एडीसी एक ह्रासमान व्यवस्था है, इस व्यवस्था को स्थाई तौर पर जारी नहीं रखा जा सकता है और इस प्रकार एडीसी की व्यवहार्यता के लिए नवीन गणनाओं को जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।

7.9.3 व्यवस्था को निकालने का आधार प्रधान विनियमों के व्याख्यात्मक ज्ञापन के पैरा 24 में स्पष्ट रूप से दिया गया है, जो निम्नानुसार हैः

"प्राधिकरण ने यह नोट किया है कि ऐतिहासिक लागत तथा अग्रदशी्र लागतों के बीच अन्तर अधिक होगा तथा केवल आधुनिक और अग्रदर्शी प्रौद्योगिकी पर आधारित लागत पर निर्भर रहने से बीएसएनएल के लिए मानक लागतों का भारी बोझ पड़ेगा। हालांकि, प्राधिकरण यह महसूस करता है कि एफएलएलआरआईसी मॉडल के अनुरूप परिवर्तन किया जाना अवश्यंभावी है, इसने अचालक किए गए परिवर्तन की तुलना में धीरे–धीरे किए जाने वाले परिवर्तन की विविक्षाओं की जांच की। चूंकि बीएसएनएल देश में दूरसंचार सेवाओं की आपूर्ति करने वाला प्रमुख सेवा प्रदाता है तथा इसने ग्रामीण दूरसंचार घनत्व के लक्ष्यों की प्राप्ति में तथा कम भुगतान करने वाले सब्सक्राइबरों को सहायता प्रदान करने में अधिकतम योगदान किया है, वर्तमान एफएलएलआरआई में परिवर्तन करने से न केवल ग्रामीण क्षेत्रों को तथा कम भुगतान करने वाले सब्सक्राइबरों को प्रदान की जा रही सेवाओं में अपितु देश के दूरसंचार उद्योग पर भी समग्र प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्राधिकरण ने यह नोट किया कि बीएसएनएल अपने विस्तार कार्यक्रमों के अद्यतन प्रौद्योगिकी और निम्न लागत वाले उपस्करों का उपयोग पहले ही कर रहा है। चूंकि बेतार प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है, यह उम्मीद है कि कुछ विद्यमान नेटवर्क में भी धीरे–धीरे ऐसे उपस्करों को लगाया जाएगा। संक्षेप में, दृष्टिकोण यह है कि एक ही वर्ष में परिवर्तन की बजाय धीरे–धीरे कुछ वर्षों में एफएलएलआरआईसी में लागत की ओर पूरी तरह परिवर्तन कर लिया जाए। एक ही वर्ष में परिवर्तन लाने से भारी अनियमित लागत आएगी और यह अव्यवहारिक भी है। अतः प्राधिकरण ने यह निर्णय लिया की जहां तक संभव हो सके, हाल ही में लेखापरीक्षित लागतों के आधार पर वर्तमान वर्ष की लागतों पर ही निर्भर किया जाए। इस प्रयोजनार्थ, इसने आरंभिक आईयूसी कवायद में प्रयुक्त आंकड़ों की तुलना में हाल ही आंकड़ों से काम लिया। प्राधिकरण की यह राय थी कि तेजी से हो रहे प्रौद्योगिकी में परिवर्तन तथा उपस्करों की लागतों में कमी के कारण एडीसी के लिए अपेक्षित वित्तपोषण की मात्रा में कमी आएगी। अतः आने वाले वर्षों में एडीसी व्यवस्था से छुटकारा संभव हो सकेगा तथा एडीसी व्यवस्था का यूएसओ व्यवस्था में विलय किया जा सकेगा। यह अधिकांश देशों की स्थिति के समान होगा, जिसमें पृथक एडीसी व्यवस्था के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही एडीसी फंडिंग की बजाय एडीसी व्यवस्था को यूएसओ व्यवस्था के साथ जोड़ दिया गया है।

[**टिप्पणीः** उपयुक्त पैरा में "एफएलएलआरआईसी" का तात्पर्य है कि फारवर्ड लुकिंग लॉग रन इन्क्रीमेंटल कास्ट]

7.9.4 जैसाकि पहले उल्लेख किया गया है वर्ष 2006–07 में बीएसएनएल के लिए अनुमानित एडीसी 3200 करोड़ रुपए था। सेवा प्रदाताओं द्वारा एडीसी संग्रहण/भुगतान के लिए सूचना आवश्यकता प्रत्येक तिमाही के पश्चात एक माह है आवक तथा जावक परियात मिनटों के बारे में सूचना भी सेवा प्रदाता द्वारा ट्राई को अलग से भेजी जाएगी। वित्त वर्ष 2006–07 के लिए वास्तविक प्राप्ति को अंतिम रूप दे दिया गया है परन्तु, पहली दो तिमाहियों की प्राप्ति तथा शेष दो तिमाहियों के प्रेक्षपण प्रत्याशित/अनुमानित एडीसी संग्रहण के संदर्भ में उत्साहवर्धक हैं।

वर्ष 2004–05 और 2005–06 के लिए एडीसी प्राप्ति के बारे में बीएसएनएल की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट की ओर प्राधिकरण का ध्यान दिलाया गया है। उक्त रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि 2003–04 के लिए एडीसी 'शून्य' है। प्राधिकरण ने इसकी विस्तृत जांच की। कुछ प्राप्त एडीसी राशियों को अंतरसंयोजन प्रभारों, बुनियादी और सेल्युलर सेवा प्रदाताओं से आईयूसी तथा एडीसी के लिए बीएसएनएल के योगदान के निवल समायोजन में दर्शाया गया है। यह नोट किया जाए कि आईएलडी आवक तथा जावक परियात से बीएसएनएल द्वारा सूचित किया गया है। बीएसएनएल आईएलडीओ, एनएलडीओ से एडीसी का संग्रहण एक्सेस प्रदाताओं द्वारा प्रत्येक सेवा क्षेत्र के लिए बताए गए आईएलडी परियात की मात्रा के आधार पर करता है तथा एक्सेस प्रदाताओं से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अलग–अलग आईएलडीओ/एनएलडीओ का पृथकीकरण/बिलिंग से एडीसी की वसूली की प्रक्रिया में विलंब होता है और ट्राई को समयबद्ध तरीके से सूचना नहीं मिलती है। इसने सामंजस्य में भी परेशानियां पैदा की है क्योंकि कभी–कभी बीएसएनएल द्वारा भेजे गए बिल कभी–कभी कुछ सेवा क्षेत्रों में देरी से पहुंचते हैं। आईएलडीओ ट्राई को बीएसएनएल द्वारा भेजे गए बिलों के आधार पर एक विशेष तारीख तक भुगतान की गई एडीसी की राशि सूचित करते हैं। अतः एडीसी संग्रहण के बारे में तिमाही सम्मिलन संभव नहीं है। बीएसएनएल के स्तर पर बिलिंग तथा वसूली तंत्र को मजबूत बनाए जाने की स्पष्ट आवश्यकता है ताकि आईएलडी कॉलों में सृजित एडीसी की समय पर वसूली की जा सके। प्राधिकरण बीएसएनएल सीधी पद्धति की सूचना के बारे में भी समान रूप से चिंतित है। तथापि, प्राधिकरण आश्वस्त है कि बीएसएनएल को एडीसी के बारे में प्राधिकरण का प्रक्षेपण या तो पूरी तरह वसूल कर लिया गया है अथवा बिलिंग के संकलन और अन्य समायोजन के माध्यम से वसूल किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2007–08 के लिए एडीसी ढांचे का निर्धारण करते समय इन कारकों को भी ध्यान में रखा गया है।

7.9.5 प्राधिकरण ने यह भी नोट किया है कि बीएसएनएल ने उस प्रधान उद्देश्य के प्रति सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया नहीं की है जिसके लिए एडीसी दिया गया था। यह स्मरण किया जाता है कि एडीसी का एक विशिष्ट उद्देश्य था जिसे एक समय–सीमा के भीतर पूरा किया जाना था (अर्थात टैरिफ पुनर्संतुलन)। इसके अलावा, बीएसएनएल अब टैरिफ रिजीम उपलब्ध करा रहा है, जिसके तहत अन्य सेवाएं (बंडल्ड) प्रदान की जा रही हैं एवं जो क्रास सब्सिडी का कुछ अवयव लिए प्रतीत होती है।

7.9.6 वित्त वर्ष 2007–08 के लिए समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) का अनुमान मध्य अवधि अर्थात वित्त वर्ष 2007–08 के मध्य में औसत सब्सक्राइबर आधार को लेकर तथा एक्सेस प्रदाताओं और लम्बी दूरी प्रचालकों, जिनमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी के प्रचालक दोनों शामिल हैं, के राजस्व (एपीआरयू) से गुणा करके निकाला जाता है। एपीआरयू का अनुमान पास थ्रू घटक को घटाकर आकलित किया गया है तथा इसको सब्सक्राइबर बेस से गुणा करके एजीआर के आंकड़े प्राप्त होते हैं। वायरलाइन, मोबाइल (डब्ल्यूएलएल सहित) राष्ट्रीय लंबी दूरी और अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवाओं के लिए अनुमानित एजीआर ग्रामीण वायरलाइन सब्सक्राइबरों से प्राप्त राजस्वों को घटाकर निकाला गया है जिसका वित्त वर्ष 2007–08 के लिए 90,000 हजार करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है।

7.9.7 वित्त वर्ष 2007–08 के लिए अंतरराष्ट्रीय आवक मिनटों का अनुमान विभिन्न आईएलडीओ द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं पर आधारित है। प्राधिकरण ने अप्रैल, 2006 से जनवरी, 2007 तक के लिए सभी आईएलडीओ से सूचना प्राप्त की है। 10 महीनों की अवधि के लिए सूचित आईएलडी आवक मिनट 8762 मिलियन है। प्राधिकरण ने वर्ष 2007–08 के लिए अंतरराष्ट्रीय आवक मिनटों के बारे में स्टेकहोल्डर द्वारा दिए गए अनुमानों पर विचार किया है। प्राधिकरण ने वर्ष 2007–08 के लिए लगभग 14,000 मिलियन अंतरराष्ट्रीय आवक मिनटों पर विचार किया है। प्राधिकरण यह भी नोट करता है कि आईएसपी लाइसेंस व्यवस्था पर पृथक सिफारिश पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है तथा शीघ्र की इसे दूरसंचार विभाग को भेजा जाएगा। यह आशा है कि लाइसेंस के अंतर्गत सेवाओं की व्याप्ति विद्यमान समय की तुलना में कम सीमित होगी। इसका दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के माध्यम से गुजरने वाली अंतरराष्ट्रीय कॉलों के समग्र आकलन पर प्रभाव पड़ेगा। यह स्वीकार किया जाता है कि आवक अंतरराष्ट्रीय मिनटों के लिए एडीसी दर में कमी ग्रे–मार्केट को और अधिक दबाएगी तथा वैध मार्ग के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय मिनटों को बढ़ावा देगी परंतु वृद्धि की प्रवृत्ति को उदारवादी दृष्टिकोण अपनाकर जानबूझकर संतुलित रखा गया है ताकि बीएसएनएल का विशाल परंतु संतुलित अंतरप्रवाह हासिल किया जा सके।

7.10 मुद्‌दा VII : एडीसी के संग्रहण के लिए विकल्प

7.10.1 प्राधिकरण ने 31 जनवरी, 2007 के अपने परामर्श पत्र में वित्त वर्ष 2007–08 के दौरान एडीसी के संग्रहण के लिए उदाहरण के रूप में कुछ संभावित विकल्प दिए थे। वे विकल्प निम्नानुसार हैं:–

(i) यदि अंतरराष्ट्रीय कॉलों पर बोझ का अवपात सुनिश्चित हो सके, तो राजस्व हिस्सेदारी व्यवस्था को अपनाना।

(ii) आईएलडी आवक और जावक से प्रतिमिनट आधार और राजस्व हिस्सेदारी का प्रतिशत (विद्यमान स्कीमों के अनुरूप), चाहे वह कम दरों पर ही हो।

(iii) केवल आवक आईएलडी से प्रति मिनट आधार और सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के एजीआर पर प्रतिशत राजस्व हिस्सेदारी।

(iv) आवक आईएलडी कॉल से केवल प्रति मिनट आधार पर एडीसी की पूरी राशि की वसूली तथा प्रतिशत राजस्व भागीदारी से कोई एडीसी नहीं।

(v) केवल प्रति मिनट आधार पर आईएलडी आवक और जावक कॉलों से एडीसी की पूरी राशि की वसूली तथा प्रतिशत राजस्व हिस्सेदारी से कोई एडीसी नहीं।

7.10.2 पणधारियों से प्राप्त टिप्पणियों को नीचे (क) से (त) में संक्षेप में दिया गया है तथा उसके पश्चात आने वाले पैराओं में उन पर विचार किया गया है:–

(क) इसका वित्तपोषण प्रति मिनट आधार पर केवल आईएलडी आवक कॉलों से किया जाएगा और प्रतिशत राजस्व हिस्सेदारी से कोई एडीसी नहीं लिया जाएगा।

(ख) वर्ष 2007–08 के लिए एडीसी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आवक आईएलडी कॉलों पर 1 रु. प्रति मिनट का एडीसी पर्याप्त होगा।

(ग) घरेलू उपभोक्ता के हित के लिए घरेलू टैरिफ में कमी करने तथा सतत् वृद्धि बनाए रखने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

(घ) जावक आईएलडी कॉलों पर कोई एडीसी उद्‌ग्रहण नहीं होना चाहिए इससे स्विच्ड नेटवर्क से की जाने वाली आईएलडी कॉलें इंटरनेट टेलीफोनी के समानान्तर हो जाएंगी।

(ङ) राजस्व हिस्सेदारी दृष्टिकोण के अधीन सभी सेवाओं के लिए न्यायसंगत और गैर–विभेदात्मक व्यवहार सुसंगत होगा।

(च) यदि संग्रहण केवल राजस्व हिस्सेदारी के प्रतिशत से किया गया है, तो राजस्व हिस्सेदारी के प्रतिशत को बढ़ाकर विद्यमान 1.5 प्रतिशत से अधिक किया जाएगा, जिससे घरेलू उद्योग पर बोझ बढ़ जाएगा।

(छ) विकल्प II राजस्व हिस्सेदारी की विद्यमान प्रतिशतता में कमी करके घरेलू उद्योग को कुछ राहत प्रदान कर सकता है, फिर भी घरेलू उद्योग का उतना लाभ नहीं मिल सकेगा। इसके अतिरिक्त, इस पद्धति को लागू करने की प्रक्रिया जटिल होगी क्योंकि इसमें कई स्रोतों से एक छोटा सा भाग ही संग्रहित हो सकेगा।

(ज) वित्त वर्ष 2007–08 में एडीसी की फंडिंग/संग्रहण की पद्धति में किसी मुख्य परिवर्तन पर विचार करने का कोई बाध्यकारी कारण नहीं है, विशेषकर उस समय, जब वर्ष 2008–09 तक एडीसी कम होकर शून्य रह जाएगी।

(झ) विकल्प III घरेलू उद्योग को एजीआर के प्रतिशत में कटौती के द्वारा सीमित राहत प्रदान करेगा, तथापि ऐसा प्रतीत होता है कि अंतरराष्ट्रीय जावक कॉलों का लाभ घरेलू कॉलों की कीमत पर होगा।

(ञ) एडीसी की वसूली आईएलडी आवक कॉलों पर 1 रु. प्रति मिनट एडीसी + एजीआर के 0.25 प्रतिशत से 0.5 प्रतिशत हो सकेगी।

(ट) ट्राई को चाहिए कि वह अंतरराष्ट्रीय कॉलों पर डाले गए गैर–अनुपातिक एडीसी के बोझ को हटाए।

(ठ) टैरिफ के निर्देशों के आधार पर विभिनन एडीसी दरों की लोडिंग करके ट्राइ ने टैरिफ पैटर्न में परिवर्तन किया है।

(ड) अंतरराष्ट्रीय जावक और आवक कॉलों पर एडीसी होना चाहिए तथा अन्य सेवा प्रदाताओं को उनके नेटवर्क में समाप्त होने वाली आवक अंतरराष्ट्रीय कॉलों पर एडीसी प्राप्त करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

(ढ) आवक आईएलडी कॉलों पर एडीसी में कटौती से आर्बिट्रेज अवसर में कमी आएगी तथा इससे आईएलडी ग्रे–ट्रैफिक में रोक के साथ ही आईएलडी ट्रैफिक की मात्रा में काफी वृद्धि होगी।

(ण) आईएलडी ट्रैफिक के आंकड़े स्पष्ट रूप से यह दर्शाते हैं कि अंतरराष्ट्रीय वॉयस सेवा की मांग अत्यंत लोचदार है।

(त) इस संकल्पना पर नए सिरे से ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए सनसेट क्लॉज और समाप्त होने वाली व्यवस्था की संकल्पना को हटाए जाने की आवश्यकता है।

7.10.3 प्राधिकरण ने विभिन्न टिप्पणियों और प्राप्त रायों पर विचार किया है। इस एडीसी व्यवस्था के फंडिंग पैटर्न पर निर्णय लेते समय प्राधिकरण ने विभिन्न उद्देश्यों को ध्यान में रखा है, जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल हैं, अर्थातः–

(i) दूरसंचार सेवाओं को उपभोक्ताओं के लिए और अधिक वहनीय बनाना।

(ii) घरेलू क्षेत्र में एडीसी के भार को कम करना।

(iii) उपभोक्ताओं के हित में एडीसी के संदर्भ में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जावक कॉलों के बीच भेदभाव को दूर करना।

(iv) इंटरनेट टेलीफोनी और स्विच्ड ट्रैफिक मिनटों के माध्यम से की गई जावक अंतरराष्ट्रीय कॉलों के बीच समान अवसर देना, जिससे स्विच्ड टेलीफोनी के माध्यम से ट्रैफिक मिनटों में वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा और राजस्व में वृद्धि होगी।

(v) अंतरराष्ट्रीय कॉलों पर उपलब्ध आर्बिट्रेज मार्जन को कम करना जिससे ग्रे–मार्केट की समस्या का समाधान हो सके।

(vi) एडीसी फडिंग के लिए एडीसी व्यवस्था का यूएसओ प्रकार की पद्धति के साथ विलय को सुकर बनाना, यदि भविष्य में ऐसे विलय की संभावना हो।

7.10.4 पूर्ववर्ती पैराओं में उल्लिखित विभिन्न उद्देश्यों तथा स्टेकहोल्डरों के विचारों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण ने यहां विचार किया की ऊपर पैरा 7.10.1 का विकल्प (iii) अर्थात केवल आईएलडी आवक से प्रति मिनट आधार पर और सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के एजीआर पर प्रतिशत हिस्सेदारी सबसे अधिक वांछनीय है। अतः प्राधिकरण द्वारा प्रधान विनियमों में निम्नानुसार वर्तमान संशोधन करने का निर्णय लिया गया हैः

(क) एआईआर (ग्रामीण वायरलाइन सब्सक्राइबरों से सृजित राजस्व को छोड़कर) की प्रतिशतता को विद्यमान 1.5 से घटाकर 0.75 प्रतिशत करना।

(ख) जावक अंतरराष्ट्रीय कॉलों से प्रतिमिनट एडीसी हटाना।

(ग) अंतरराष्ट्रीय आवक कॉलों पर प्रति मिनट एडीसी में 38 प्रतिशत कमी अर्थात प्रति मिनट 1.60 रु0 के विद्यमान मूल्य को कम करके प्रति मिनट 1 रु. करना।

7.10.5 वित्त वर्ष 2007–08 के लिए एडीसी आकलन का सारांश नीचे तालिका I में दिया गया है:–

तालिका–I
वर्ष 2007–08 के लिए एडीसी आकलन का सारांश

स्ट्रीम	**एडीसी की दर**	**अनुमानित एडीसी (रुपए करोड़ में)**
राजस्व भाग	सभी सेवा प्रदाताओं के लिए एजीआर का 0.75 प्रतिशत	650
अंतरराष्ट्रीय आवक कॉलें	1 रु. प्रति मिनट	1400
योग		2050

लगभग 2050 करोड़ रु. के कुल अनुमानित एडीसी संग्रहण में से, बीएसएनएल के लिए अनुमानित एडीसी संग्रहण 2000 करोड़ रु. है।

7.10.6 प्राधिकरण को उम्मीद है कि "दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार (आठवां संशोधन) विनियम 2007" के फलस्वरूप एडीसी राशि में कमी से हुए लाभ को सेवा प्रदाता आगे पूरी तरह प्रदान करेंगे, जिससे निम्न का मार्ग प्रशस्त होगा:–

(क) निम्नतर दूरसंचार टैरिफ;
(ख) वहनीय/निम्न प्रभारों के परिणामस्वरूप सेवाओं का अधिक उपयोग;
(ग) दूरसंचार सेवाओं में सतत वृद्धि;
(घ) टैरिफ में कमी करने तथा उपभोक्ताओं को अभिनव पैकेज प्रदान करने के लिए सेवा प्रदाताओं के लिए अधिक लचीलापन;
(ङ) आर्बिट्रेज में कटौती अतः आईएलडी ग्रे–मार्किट के लिए अत्यंत कम प्रोत्साहन;
(च) इंटरनेट टेलीफोनी तथा फिक्सड ट्रैफिक मिनटों के माध्यम से आवक अंतरराष्ट्रीय कॉलों के बीच लेवल प्लेइंग फील्ड, जिससे स्विच्ड टेलीफोनी के माध्यम से ट्रैफिक मिनटों में वृद्धि को प्रोत्साहन मिलेगा, जिसके परिणामस्वरूप दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के राजस्व में वृद्धि होगी।

दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार (आठवां संशोधन) विनियम, 2007 के व्याख्यात्मक ज्ञापन का अनुलग्नक 'क'

(दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार (आठवां संशोधन) विनियम, 2007 के व्याख्यात्मक ज्ञापन का पैरा 6.1 देखें)

दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार विनियम, 2003 (2003 का 4) दिनांक 29 अक्तूबर, 2003 के व्याख्यात्मक ज्ञापन में एडीसी ह्रासमान व्यवस्था है से संबंधित कतिपय प्रासंगिक पैराओं के उद्धरणः

"....... यहां तक कि एडीसी व्यवस्था भी, जो कि बीएसएनएल के लिए उपलब्ध हैं, आमतौर पर समाप्त की जाएगी और उसे 5 वर्षों में उसका विलय यूएसओ व्यवस्था में कर दिया जाएगा ....।" (पैरा 101 देखें)

"..... प्राधिकरण का यह मत है कि वर्तमान एडीसी व्यवस्था यूएसओ प्रकार की व्यवस्था के साथ 3 से 5 वर्षों के साथ मिल जाएगी ....।" (पैरा 98 देखें)

" दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार (चौथा संशोधन) विनियम, (2005 का 1)" दिनांक 6 जनवरी, 2005 के व्याख्यात्मक ज्ञापन में एडीसी ह्रासमान है से संबंधित कतिपय प्रासंगिक पैराओं के उद्धरणः–

"....... इस संबंध में, 29 अक्तूबर, 2003 के इसके आईयूसी विनियम में प्राधिकरण के वक्तव्य का स्मरण करना महत्वपूर्ण है कि यह एडीसी को धीरे–धीरे कम कर रहा है, आने वाले समय में इसे यूएसओ व्यवस्था में विलय कर रहा है ....।" (पैरा 25 देखें)

"....... और यह भी निर्णय लिया है कि एडीसी को उत्तरोत्तर रूप से कम किया जाएगा ताकि कुछ वर्षों में इसे समाप्त किया जा सके.........।" (पैरा 52 देखें)

"दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार (छठा संशोधन) विनियम (2006 का 1)" दिनांक 23 फरवरी, 2006 के व्याख्यात्मक ज्ञापन में एडीसी ह्रासमान व्यवस्था है से संबंधित कतिपय प्रासंगिक पैराओं के उद्धरणः

"....... बहरहाल, एडीसी एक ह्रासमान प्रणाली है जिसे मुख्यतया ट्रांजिशन अवधि के दौरान टैरिफ के पुनर्संतुलन के लिए इनकम्बेंट को समय प्रदान किया जाता है और इसे एक समय के बाद हटा दिया जाएगा और इसे यूएसओ प्रणाली के साथ मिला दिया जाएगा और कोई भी लाइन, जिसकी परिचालन लागत से कम पर व्यवस्था की गई हो, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, और जो विनियमित टैरिफ से जुड़े हों और जिनका अभिगम घाटे का कोई औचित्य हो उन्हें यूएसओ में शामिल किए जाने की आवश्यकता है।" (पैरा 23 देखें)

"यह पुनः दोहराया जाता है कि अक्तूबर, 2003 से प्राधिकरण इस प्वाइंट पर जोर देता रहा है कि एडीसी प्रणाली एक ह्रासमान प्रणाली है और इसे 2008–2009 के आगे से बदल दिया जाना चाहिए या यूएसओ प्रणाली में इसे मर्ज कर दिया जाना चाहिए।" (पैरा 24 देखें)

"क्योंकि यह एक ह्रासमान प्रणाली है, अतः पूर्व में आकलित एडीसी के मूल्य को धीरे–धीरे कम होना चाहिए ताकि वर्ष 2008–2009 तक यह शून्य हो सके।" (पैरा 43 देखें)

दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार (आठवां संशोधन) विनियम, 2007 के व्याख्यात्मक ज्ञापन का अनुलग्नक 'ख'

अनुलग्नक 'ख'
[दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार (आठवां संशोधन) विनियम, 2007 के व्याख्यात्मक ज्ञापन का पैरा 6.2 देखें]

"दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार विनियम, 2003 (2003 का 4) दिनांक 29 अक्तूबर, 2003 के व्याख्यात्मक ज्ञापन में कतिपय प्रासंगिक पैराओं के उद्धरण जिनमें दर्शाया गया कि एडीसी को स्थायी रूप से जारी नहीं रखा जा सकता है:"

"इसलिए समय के साथ–साथ कुछ वर्षों के भीतर एडीसी व्यवस्था को समाप्त करना संभव हो सकता है और बाद में एडीसी व्यवस्था का विलय यूएसओ व्यवस्था में किया जा सककता है। इससे एक पृथक एडीसी व्यवस्था के जरिए वित्तपोषित एडीसी की बजाए अधिकांश दूसरे देशों जैसी ही स्थिति होगी, जहां एडीसी तथा यूएसओ व्यवस्था संयुक्त रूप से लागू है।" (पैरा 24 देखें)

"प्राधिकरण ने यह भी निर्णय लिया था कि वह बीएसओ के लिए संगत एडीसी का अनुमान लगाने के लिए और अधिक विस्तृत ऑडिट की विस्तृत लागत सूचना प्राप्त करेगा और उसे अगले वित्त वर्ष समीक्षा के बाद समाप्त करने पर विचार करेगा। समाप्ति की यह प्रक्रिया प्राधिकरण द्वारा कुछेक वर्षों के पश्चात एडीसी व्यवस्था को यूएसओ व्यवस्था में मिलाकर, विचारित एक्सेस घाटा व्यवस्था को समग्र रूप से समाप्त करने की तुलना में और ज्यादा जल्दी होगी।।" (पैरा 57 देखें)

"साथ–साथ कुछ अरसे बाद मान लीजिए उसे पांच वर्षों में एडीसी व्यवस्था को यूएसओ व्यवस्था में मिला देना एक आदर्श स्थिति हो सकती है।" (पैरा 89 देखें)

"प्राधिकरण का यह मत है कि वर्तमान एडीसी व्यवस्था यूएसओ प्रकार की व्यवस्था के साथ 3 से 5 वर्षों के भीतर मिल जाएगी।" (पैरा 98 देखें)

"यहां तक कि वह एडीसी व्यवस्था भी जो कि बीएसएनएल के लिए उपलब्ध है आमतौर पर समाप्त हो जाएगी और उसे 3 से 5 वर्षों में उसका विलय यूएसओ व्यवस्था में कर दिया जाएगा।" (पैरा 98 देखें)

"दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार (चौथा संशोधन) विनियम (2005 का 1)" दिनांक 6 जनवरी, 2005 के व्याख्यात्मक ज्ञापन में कतिपय प्रासंगिक पैराओं के उद्धरण जिनमें दर्शाया गया है कि एडीसी को स्थायी रूप से जारी नहीं रखा जा सकता है:

"प्राधिकरण ने पहले ही कहा है कि एडीसी व्यवस्था को आने वाले समय मे समापत कर दिया जाएगा तथा यूएसओ व्यवस्था के साथ विलयित कर दिया जाएगा।" (पैरा 28 देखें)

"और यह भी निर्णय लिया है कि कुछ वर्षों के समय में समाप्त करने के लिए एडीसी को उत्तरोत्तर रूप से कम कर दिया जाएगा।" (पैरा 52 देखें)

"दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार (छठा संशोधन) विनियम (2006 का 1)" दिनांक 23 फरवरी, 2006 में कतिपय प्रासंगिक पैराओं के उद्धरण जिनमें दर्शाया गया है कि एडीसी को स्थायी रूप से जारी नहीं रखा जा सकता है:

"एडीसी टैरिफ में पुनर्संतुलन करने के लिए अस्थायी अवधि के लिए दिया जाता है और यदि पुनर्संतुलन नहीं किया जाता है अथवा प्रतिकूल पुनर्संतुलन का सहारा नहीं लिया जाता है तो इसे अस्थायी तौर पर जारी नहीं रखा जा सकता है।" (पैरा 24 देखें)

"प्राधिकरण ने टैरिफ का पुनर्संतुलन करने के लिए पर्याप्त समय दिया है और एडीसी मुख्यतः पुरानी लागत के लिए है न कि भावी लागत के लिए। प्राधिकरण का मत है कि यदि इंकम्बेंट या किसी अन्य ऑपरेटर के लिए एडीसी के समान धनराशि जारी रखी जाएगी तो टैरिफ पुनर्संतुलन कभी भी नहीं किया जा सकेगा और स्थायी तौर पर एडीसी प्रणाली को जारी रखने के कारण इसमें सब्सक्राइबर पर अनुचित भार पड़ेगा।" (पैरा 26 देखें)

दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार (आठवां संशोधन) विनियम, 2007 के व्याख्यात्मक ज्ञापन का अनुलग्नक 'ग'

अनुलग्नक 'ग'

("दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार (आठवां संशोधन) विनियम 2007" के व्याख्यात्मक ज्ञापन का पैरा 6.3 देखें)

"दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार (छठा संशोधन) विनियम (2006 का 1)" दिनांक 23 फरवरी, 2006 में कतिपय प्रासंगिक पैराओं के उद्धरण जिनमें का गया है कि एडीसी की ग्राह्यता के लिए नवीन आकलनों की कोई आवश्यकता नहीं है:

"प्राधिकरण ने अक्तूबर, 2003 के अपने विनियम में पुरानी लागतों के आधार पर कुल एडीसी राशि के लिए बीएसएनएल को परामर्श से विस्तृत गणनाएं की हैं और प्राधिकरण बार–बार पुराने डाटा के आधार पर इन गणनाओं को करना जारी रखने की आवश्यकता नहीं समझता है।" (पैरा 26 देखें)

"चूंकि एडीसी मुख्यतः वायरलाइन लागत आधारित रेंटलों में कमी के कारण था और वायरलाइन सब्सक्राइबरों की संख्या में बदलाव नहीं आया है, अतः प्राधिकरण द्वारा पूर्व में अनुमानित एडीसी की राशि का दोबारा आकलन करने की जरूरत नहीं है लेकिन क्योंकि यह एक ह्रासमान प्रणाली है, अतः पूर्व में आकलित एडीसी के मूल्य धीरे–धीरे कम होना चाहिए ताकि वर्ष 2008–09 तक यह शून्य हो सके।" (पैरा 43 देखें)

दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार (आठवां संशोधन) विनियम, 2007 के व्याख्यात्मक ज्ञापन का अनुलग्नक 'घ'

अनुलग्नक 'घ'

("दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार (आठवां संशोधन) विनियम 2007" के व्याख्यात्मक ज्ञापन का पैरा 6.4 देखें)

"दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार विनियम 2003 (2003 का 4)" दिनांक 29 अक्तूबर, 2003 के व्याख्यात्मक ज्ञापन में 2008–09 तक एडीसी को समाप्त करना तथा यूएसओ के माध्यम से भविष्य में सहायता, यदि आवश्यक हुई, से संबंधित कतिपय प्रासंगिक पैराओं के उद्धरणः

"यहां तक कि वह एडीसी व्यवस्था जोकि बीएसएनएल के लिए उपलब्ध है आमतौर पर समाप्त की जाएगी और उसे 3 से 5 वर्षों में उसका विलय यूएसओ व्यवस्था में कर दिया जाएगा.....।" (पैरा 101 देखें)

"दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार (चौथा संशोधन) विनियम 2005 (2005 का 5)" दिनांक 6 जनवरी, 2006 के व्याख्यात्मक ज्ञापन में 2008–09 तक एडीसी को समाप्त करना तथा यूएसओ के माध्यम से भविष्य में सहायता, यदि आवश्यक हुई, से संबंधित कतिपय प्रासंगिक पैराओं के उद्धरणः

".......प्राधिकरण ने पहले ही कहा है कि आने वाले समय में एडीसी व्यवस्था को समापत कर दिया जाएगा तथा यूएसओ व्यवस्था के साथ कर दिया जाएगा....."। (पैरा 28 देखें)

"दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार (छठा संशोधन) विनियम (2006 का 1)" दिनांक 23 फरवरी, 2006 के व्याख्यात्मक ज्ञापन में 2008–09 तक एडीसी को समाप्त करना

तथा यूएसओ के माध्यम से भविष्य में सहायता, यदि आवश्यक हुई, से संबंधित कतिपय प्रासंगिक पैराओं के उद्धरण:

".......प्राधिकरण का मत है कि मार्च, 2008 तक अर्थात् अगले 2 वर्ष तक कोई भी लाइन जो ग्रामीण क्षेत्र में हो और जिसमें अभिगम नेटवर्क के लिए वित्त पोषण का औचित्य हो उन पर यूएसओ के माध्यम से विचार किया जाना अपेक्षित होगा तथा एडीसी को हटा दिया जाएगा...."। (पैरा 23 देखें)

".......पूर्व में आकलित एडीसी के मूल्य को धीरे–धीरे कम होना चाहिए ताकि वर्ष 2008–09 तक यह शून्य हो सके ...."। (पैरा 43 देखें)

".......(ii) एडीसी प्रणाली अगले दो वर्षों में घटकर शून्य तक हो जाएगी...."। (पैरा 67 देखें)

दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार (आठवां संशोधन) विनियम, 2007 के व्याख्यात्मक ज्ञापन का अनुलग्नक 'ङ'

अनुलग्नक 'ङ'

("दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार (आठवां संशोधन) विनियम 2007" के व्याख्यात्मक ज्ञापन का पैरा 6.5 देखें)

"दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार विनियम 2003 (2003 का 4)" दिनांक 29 अक्तूबर, 2003 में व्याख्यात्मक ज्ञापन में एडीसी को यूएसओ व्यवस्था से प्रतिस्थापित कर देना चाहिए अथवा उसमें विलयित कर देना चाहिए से संबंधित कतिपय प्रासंगिक पैराओं के उद्धरण:

"....... इसलिए समय के साथ–साथ कुछ वर्षों के भीतर एडीसी व्यवस्था को समाप्त करना संभव हो सकता है और बाद में एडीसी व्यवस्था का विलय यूएसओ व्यवस्था में किया जा सकता है...."। (पैरा 24 देखें)

"प्राधिकरण कुछेक वर्षों के पश्चात एडीसी व्यवस्था को यूएसओ व्यवस्था में मिलाने पर विचार करेगा ......"। (पैरा 57 देखें)

".......साथ–साथ कुछ अरसे बाद मान लीजिए उसे 3 से 5 वर्षों में एडीसी व्यवस्था को यूएसओ व्यवस्था में मिला देना एक आदर्श स्थिति हो सकती है ......"। (पैरा 89 देखें)

"....... प्राधिकरण का यह मत है कि वर्तमान एडीसी व्यवस्था यूएसओ प्रकार की व्यवस्था के साथ 3 से 5 वर्षों के भीतर मिल जाएगी......"। (पैरा 98 देखें)

"दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार (चौथा संशोधन) विनियम 2005 (2005 का 1)" दिनांक 6 जनवरी, 2006 के व्याख्यात्मक ज्ञापन में एडीसी को यूएसओ व्यवस्था से प्रतिस्थापित कर देना चाहिए अथवा उसमें विलयित कर देना चाहिए से संबंधित कतिपय प्रासंगिक पैराओं के उद्धरणः

"....... प्राधिकरण ने पहले ही कहा है कि एडीसी व्यवस्था को आने वाले समय में समापत कर दिया जाएगा तथा यूएसओ व्यवस्था के साथ विलयित कर दिया जाएगा......"। (पैरा 28 देखें)

"प्राधिकरण ने आगे नोट किया है कि राजस्व साझेदारी व्यवस्था की ओर परिवर्तन तथा इसका यूएसओ के साथ विलय ही वास्तव में समस्त विसंगतियों का ध्यान रखने तथा एडीसी के साथ जुड़े मुद्दों का अंतिम समाधान है........."। (पैरा 80 देखें)

"दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार (छठा संशोधन) विनियम (2006 का 1)" दिनांक 23 फरवरी, 2006 के व्याख्यात्मक ज्ञापन में 2008–09 तक एडीसी को यूएसओ व्यवस्था से प्रतिस्थापित कर देना चाहिए अथवा उसमें विलयित कर देना चाहिए से संबंधित कतिपय प्रासंगिक पैराओं के उद्धरणः

".......प्राधिकरण का मत है कि मार्च, 2008 तक अर्थात अगले दो वर्षों तक कोई भी लाइन जो ग्रामीण क्षेत्र में हो और जिसमें अभिगम नेटवर्क के वित्त–पोषण का औचित्य हो, उन पर यूएसओ के माध्यम से विचार किया जाना अपेक्षित होगा तथा एडीसी को हटा दिया जाएगा......"। (पैरा 23 देखें)